

प्रपत्र-1

X- क्षेत्र (A,B,C श्रेणी) से Y- क्षेत्र (D,E,F श्रेणी) अथवा Y- क्षेत्र (D,E,F श्रेणी) से X- क्षेत्र (A,B,C श्रेणी) में अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत इच्छित स्थान में पदस्थापना हेतु विकल्प पत्र

(राजकीय प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिये)

1. शिक्षक का नाम

2. शिक्षक की ID (ऑन लाइन इन्ट्री के अनुसार)

3. पदनाम विषय.....

{पदनाम में (1). प्र030 प्राथमिक (2). स030 प्राथमिक (3). प्र030 जूनियर (4). स030 जूनियर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं स030 जूनियर अपने विषय का उल्लेख भी करें}

4. कार्यरत विद्यालय/कार्यालय का नाम

5. विद्यालय/ कार्यालय की ID (ऑन लाइन इन्ट्री के अनुसार)

6. यदि वर्ष 2013–14 में अनिवार्य स्थानान्तरण हुआ है तो उसका विवरण उपलब्ध करवायें :—

किस क्षेत्र (X अथवा Y) से किय क्षेत्र (X अथवा Y) में

7. अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु इच्छित विद्यालय के विकल्प-

वरीयता क्रमांक	जनपदान्तर्गत इच्छित विद्यालय का नाम	विकास खण्ड का नाम	विद्यालय की कोटि (A, B, C, D, E, F के रूप में)
1			
2			
3			
4			
5			

नोट :

- i. शिक्षक केवल अपने ही सर्वंग अर्थात् जनपद के अन्तर्गत स्थित 05 विद्यालयों के ही विकल्प दे सकेंगे।
- ii. शिक्षक, बिन्दु : 7 में अपने मूल धारित पद के अनुरूप 5 इच्छित विद्यालयों के नाम (X- क्षेत्र से अनिवार्य स्थानान्तरण वाले शिक्षक Y- क्षेत्र के 5 विद्यालयों के एवं Y- क्षेत्र से अनिवार्य स्थानान्तरण वाले शिक्षक X- क्षेत्र के 5 विद्यालयों के) के ही विकल्प दें सकेंगे।
- iii. त्रुटिपूर्ण विकल्प देने की स्थिति में शिक्षक स्वयम् उत्तरदायी होंगे। स्थानान्तरण हेतु अधिकृत समिति द्वारा मात्र सुसंगत विकल्पों को ही संज्ञान में लिया जायेगा।

हस्ताक्षर शिक्षक
नाम.....
पद नाम..... विषय.....

प्रतिहस्ताक्षर

(उप शिक्षा अधिकारी)

नाम.....

(उप शिक्षा अधिकारी की मुहर)

प्रपत्र-2

X- क्षेत्र (A,B,C श्रेणी) से Y- क्षेत्र (D,E,F श्रेणी) अथवा - क्षेत्र (D,E,F श्रेणी) से X- क्षेत्र (A,B,C श्रेणी) में अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत इच्छित स्थान में पदस्थापना हेतु
विकल्प पत्र
(राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिये)

1. शिक्षक का नाम
2. शिक्षक की ID (ऑन लाइन इन्ट्री के अनुसार)
3. पदनाम विषय.....
(पदनाम में (1). स0आ० एल0टी० (2). प्रवक्ता (विषय का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाये))
4. कार्यरत विद्यालय का नाम.....
विकास खण्ड का नाम.....जनपद का नाम.....
5. विद्यालय की ID (ऑन लाइन इन्ट्री के अनुसार)
6. यदि वर्ष 2013-14 में अनिवार्य स्थानान्तरण हुआ है तो उसका विवरण उपलब्ध करवायें :—
किस क्षेत्र (X अथवा Y) से किय क्षेत्र (X अथवा Y) में
7. अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु इच्छित विद्यालय के विकल्प—

वरीयता क्रमांक	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड का नाम	जनपद का नाम	विद्यालय की श्रेणी (A, B, C, D, E, F के रूप में)
1				
2				
3				
4				
5				

नोट :

- i. शिक्षक केवल मण्डल के अन्तर्गत स्थित 05 विद्यालयों के ही विकल्प दे सकेंगे।
- ii. शिक्षक, बिन्दु : 7 में अपने मूल धारित पद के अनुरूप 5 इच्छित विद्यालयों के नाम (X- क्षेत्र से अनिवार्य स्थानान्तरण वाले शिक्षक Y- क्षेत्र के 5 विद्यालयों के एवं Y- क्षेत्र से अनिवार्य स्थानान्तरण वाले शिक्षक X- क्षेत्र के 5 विद्यालयों) के ही विकल्प दें सकेंगे।
- iii. त्रुटिपूर्ण विकल्प देने की स्थिति में शिक्षक स्वयम् उत्तरदायी होंगे। स्थानान्तरण हेतु अधिकृत समिति द्वारा मात्र सुसंगत विकल्पों का ही संज्ञान में लिया जायेगा।

हस्ताक्षर शिक्षक

नाम.....
पद नाम.....विषय.....

प्रतिहस्ताक्षर

(संस्थाध्यक्ष)

नाम.....
(संस्थाध्यक्ष की मुहर)

संस्थाध्यक्ष के प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त विकल्प पत्र, खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत जमा किया जायेगा।}

प्रपत्र-3

संवर्ग के अन्तर्गत अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन —पत्र

[उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली—2013
(यथा संशोधित) के अनुसार]

प्राथमिक / माध्यमिक

1. शिक्षक/ शिक्षिका का नाम जन्म तिथि

2. शिक्षक/ शिक्षिका की ID (ऑन लाइन इन्ट्री के अनुसार)

3. पदनाम विषय

(पदनाम में प्रवक्ता/एल०टी०/ स०अ०० प्राथमिक/ स०अ०० उच्च प्राथमिक/ प्रधानाध्यापक प्राथमिक/ प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक का स्पष्ट उल्लेख करें)

4. वर्तमान विद्यालय/ कार्यालय का नाम.....

5. विद्यालय/ कार्यालय की ID (ऑन लाइन इन्ट्री के अनुसार)

6. सेवा संवर्ग का नाम : जनपद रस्ता: मण्डल रस्ता: राज्य रस्ता:

7. अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण की पात्रता [निम्नांकित (i) से (ix) तक जो लागू हो उसके समुख ✓ का निशान लगायें]

(i) उत्तराखण्ड के विद्यालयी शिक्षा विभाग के राजकीय शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कार्मिक की शिक्षक पति अथवा पत्नी द्वारा Y- क्षेत्र के विद्यालय में स्थानान्तरण चाहने हेतु

पति/ पत्नी का नाम—.....

पदनाम.....

(ii) विकलांग शिक्षक

(विकलांगता के अन्तर्गत 50 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग एवं राज्य विकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र व साथ ही मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त शिक्षण कार्य हेतु विकित्सीय रूप से स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र भी संलग्न करें)

(iii) क. गम्भीर रोग से ग्रस्त शिक्षक

शिक्षक के स्वयम् के गम्भीर रोग से ग्रसित होने पर बीमारी की कोटि (a/ b/ c/ d/) आदि (निम्न तालिका देखें)

[a-कैंसर b-ब्लड कैंसर c-एडस/ HIV पॉजिटिव d-हृदय की बाई पास सर्जरी e-हृदय वॉल्व सर्जरी f-हृदय एन्जियो प्लास्टी g-हृदय पेस मेकर h-एक किडनी फेल होने पर i-दोनों किडनी फेल हों डायलिसिस पर निर्भर j- TB (दोनों फेफड़े खराब हों) k-सार्स (थर्ड स्टेज) l- कॉनिक आर्थराइटिस विद डिफॉर्मिटि विद डिसएबिलिटी m- ब्रेनट्यूमर]

ख. ऐसे शिक्षक जिनके पति/पत्नी अथवा अविवाहित बच्चे गम्भीर रोग से ग्रसित हैं.....

शिक्षक जिनके पति/पत्नी अथवा अविवाहित बच्चे गम्भीर रोग से ग्रसित हैं में बीमारी की कोटि (a/ b/ c/ d/ आदि) निम्न तालिका देखें

[a-कैंसर b-एडस/ HIV पॉजिटिव c-हृदय की बाई पास सर्जरी d-हृदय वॉल्व सर्जरी e-दोनों किडनी फेल हों डायलिसिस पर f- ब्रेनट्यूमर g- मानसिक रूप से विकिप्त/ विकलांग]

ग. ऐसे शिक्षक जिनके पति/पत्नी अथवा अविवाहित बच्चे 60 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग हैं...

(उक्त क्रमांक: 'क' 'ख' अथवा 'ग' में अंकित बीमारी/ विकलांगता से ग्रस्त होने की दशा में राज्य विकित्सा परिषद द्वारा विगत एक वर्ष के अन्दर प्रदत्त प्रमाण पत्र तथा क्रमांक 'क' की स्थिति में शिक्षण कार्य हेतु विकित्सीय रूप से स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र भी संलग्न करें)

- (iv) मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चे के शिक्षक माता-पिता अथवा शिक्षक के विक्षिप्त पति/पत्नी....
 (राज्य विक्रिता परिषद द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करें)
- (v) शिक्षक की सेवानिवृति के तीन वर्ष या उससे कम अवधि शेष हो
 (स्थानान्तरण वर्ष की 31 मार्च के अनुसार)
- (vi) विधवा/विधुर/ भारतीय सेना में कार्यरत् सैनिक की पत्नी/ जीवित स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी की पुत्री
 जिन पर वे पूर्णतः आश्रित हों/ तलाकसुधा अथवा परित्यक्ता शिक्षिका
 (शिक्षक द्वारा उक्त से सन्दर्भित सक्षम स्तर का प्रमाण पत्र एवं उक्त आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा)
- (vii) X- क्षेत्र के C श्रेणी के विद्यालय में कार्यरत् ऐसे शिक्षक जो A श्रेणी व B श्रेणी के विद्यालय में कभी
 कार्यरत् नहीं रहें व जिनकी C श्रेणी के विद्यालय में सेवा 5 वर्ष हो चुकी हो (स्थानान्तरण वर्ष की 31
 मार्च के अनुसार) एवं X- क्षेत्र में कार्यरत् शिक्षकों की अनिवार्य स्थानान्तरण की पात्रता सूची में नाम न
 आ रहा हो
- (viii) Y- क्षेत्र से Y- क्षेत्र (E अथवा F श्रेणी) में स्थानान्तरण का अनुरोध (स्थानान्तरण वर्ष के 31 मार्च के
 अनुसार न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करना अनिवार्य है)
- (ix) X- क्षेत्र से Y- क्षेत्र में स्थानान्तरण का अनुरोध.....

8. अनुरोध के आधार स्थानान्तरण हेतु विकल्प (वरीयता अनुसार) – 05 विकल्प

वरीयता क्रमांक	कार्यालय/विद्यालय का नाम	विकास खण्ड का नाम	जनपद का नाम	मण्डल का नाम	विद्यालय की श्रेणी A/B/C/D/E/F
1					
2					
3					
4					
5					

नोट: 1- अनुरोध में स्थानान्तरण हेतु जिस पात्रता के अन्तर्गत आवेदन किया गया है, उसके प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

2 - तदर्थ शिक्षक/शिक्षाबन्धु/शिक्षा मित्र/शिक्षा आचार्य स्थानान्तरण के पात्र नहीं होंगे।

3 - आवेदक शिक्षक/ शिक्षिका को www.edu.hiesys.com से अपने सेवा विवरण का print निकाल कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4 - शिक्षक जिस श्रेणी में आवेदन हेतु पात्र है उन्हीं के विकल्प दे सकेंगे। त्रुटिपूर्ण विकल्प देने पद शिक्षक स्वयम् उत्तरदायी होंगे।

हस्ताक्षर शिक्षक/शिक्षिका :

नाम :

पदनाम :

विषय :

संस्थाध्यक्ष की संस्तुति

(हस्ताक्षर)

नाम :

पद नाम :

(कार्यालय की मुहर)

खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा शिक्षक/शिक्षिका..... पदनाम..... विषय..... विद्यालय का नाम..... के उक्त आवेदन पत्र के क्रमांक : 7 में दर्शायी गई 'अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण की पात्रता' से सन्दर्भित प्रमाण पत्रों की भली भांति जांच कर ली है, एवं शिक्षक/ शिक्षिका अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र है।

प्रतिहस्ताक्षर

दिनांक:

खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी
 विकास खण्ड : जनपद:

प्रपत्र-4

उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन
नियमावली-2013 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत संवर्ग परिवर्तन हेतु आवेदन -पत्र
स0अ0 रा0प्रा0वि0 / स0अ0 एल0टी0 हेतु
(स्थानान्तरण वर्ष के 31 मार्च को अपने संवर्ग में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण करने की स्थिति में)

1. शिक्षक का नाम :.....
2. वर्तमान कार्यरत विद्यालय का नाम :.....
विकास खण्ड का नाम:..... जनपद का नाम :.....
3. विद्यालय की ID.....
4. पदनाम :..... विषय :.....
5. संवर्ग परिवर्तन हेतु जिस जनपद/मण्डल में स्थानान्तरण वांछित है का नाम
स्थानान्तरण चाहने का कारण
(a से c का उल्लेख करें, प्रमाण पत्र भी संलग्न करें)
 a. गम्भीर बीमारी से ग्रस्त होने के कारण
 b. विवाह होने के कारण पति के गृह जनपद/ पति के शासकीय सेवा में कार्यरत होने की स्थिति में
कार्यस्थल के जनपद में तैनाती हेतु इच्छुक
 c. स्वेच्छा से (केवल स0अ0 एल0टी0 हेतु)

- नोट : (i). संवर्ग परिवर्तन की अनुमति मात्र एक बार अनुमन्य होगी ।
(ii). संवर्ग से बाहर स्थानान्तरण किये जाने पर ऐसे शिक्षकों की ज्येष्ठता नवीन संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि को कार्यरत कनिष्ठतम शिक्षक की ज्येष्ठता के बाद निर्धारित की जायेगी ।
(iii). शिक्षक द्वारा www.edu.hiesys.com से अपने सेवा विवरण का print निकाल कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

हस्ताक्षर अध्यापक
नाम एवं पद नाम.....

संस्थाध्यक्ष की संस्तुति

(हस्ताक्षर)
नाम :
(संस्था की सील)

खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा शिक्षक/शिक्षिका..... पदनाम.....
विषय..... विद्यालय का नाम..... के उक्त आवेदन पत्र के दर्शायी गई¹
अंकनाओं का भली भांति जांच कर ली है, एवं शिक्षक/ शिक्षिका संवर्ग परिवर्तन में स्थानान्तरण हेतु पात्र है ।

प्रतिहस्ताक्षर

दिनांक:

खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी
विकास खण्ड : जनपद:

प्रपत्र-5

उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन
नियमावली-2013 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु आवेदन –पत्र

(पारस्परिक स्थानान्तरण मात्र Y- क्षेत्र से Y- क्षेत्र के विद्यालय में एवं केवल अपने ही संघर्ष, समाज
पद तथा समाज विषय में अनुमत्य होगा)

संघर्ष (जनपदीय / मण्डलीय / राज्य संघर्ष)

पारस्परिक स्थानान्तरण चाहने वाले शिक्षकों का विवरण					
क्रम संख्या	दोनों शिक्षकों के नाम (जो पारस्परिक स्थानान्तरण चाहते हैं)	पद नाम व विषय	वर्तमान विद्यालय का नाम / विठ्ठल का नाम / जनपद का नाम / मण्डल का नाम	विद्यालय की श्रेणी	वर्तमान विद्यालय में सेवा की अवधि (स्थानान्तरण वर्ष के 31 मार्च के अनुसार)
1					
2					

नोट: 1— पारस्परिक स्थानान्तरण चाहने वाले दोनों शिक्षकों के नाम अंकित होना अनिवार्य है ।

2— आवेदन पत्र दोनों शिक्षकों द्वारा पृथक—पृथक भरा जायेगा ।

3— क्रम संख्या : 1 में आवेदन करने वाले शिक्षक का नाम अंकित होगा व क्रम संख्या : 2 में जिस शिक्षक के साथ पारस्परिक स्थानान्तरण किया जाना है उसका नाम अंकित किया जायेगा ।

4— दोनों शिक्षकों द्वारा www.edu.hiesys.com से अपने सेवा विवरण का print निकाल कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु सहमति :-

1. सहमति

(क्रम संख्या : 01 में अंकित शिक्षक के हस्ताक्षर)

शिक्षक का नाम.....पदनाम.....विषय.....

2. सहमति

(क्रम संख्या : 02 में अंकित शिक्षक के हस्ताक्षर)

शिक्षक का नाम.....पदनाम.....विषय.....

प्रतिहस्ताक्षरित

संरक्षणाध्यक्ष

(क्रम संख्या-1 में अंकित शिक्षक का विद्यालय)
(विद्यालय की मुहर)

खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी

(क्रम संख्या-1 में अंकित शिक्षक का विकास खण्ड)
(खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय की मुहर)